न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 57/2016 (2016/00150) वादपत्र

1. शंकरलाल पिता छोगा कुमावत निवासी डांगकाखेडा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. भैरूलाल पिता छोगा कुमावत निवासी डांगकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. छोगा पिता रामा जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा फोथ के बजाय

2(1) गोदी पत्नि छोगा जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 19.03.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 05.12.2019 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मोटराकाखेड़ा पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर की सरहद में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सयुंक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 2517 रकबा 0.36 है कुल किता 1 कुल रकबा 0.36 है0। भूमि वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोड्स के आधार पर स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 17.03.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी के अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मोटराकाखेड़ा पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर की सरहद में अकिंत खाता संख्या 124 की प्रस्तावित आराजी संख्या 2517/3 रकबा 0.09 है0, भूमि शंकरलाल पिता छोगा कुमावत सा. डांगकाखेड़ा खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2517/2 रकबा 0.09 है0, भूमि भैरूलाल पिता छोगा कुमावत सा0 डांगकाखेड़ा खातेदार तथा प्रस्तावित अराजी संख्या 2517/1 रकबा 0.18 है0, भूमि छोगा पिता रामा जाट मृतक छोगाजी वारीस गोदी पत्नि छोगा जाट सा.देह खातेदार रखे जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19.3.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.17 12:04:18 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 57/2016 (2016/00150) वादपत्र
1. शंकरलाल पिता छोगा कुमावत निवासी डांगकाखेडा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. भैरूलाल पिता छोगा कुमावत निवासी डांगकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. छोगा पिता रामा जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा फोथ के बजाय
2(1) गोदी पत्नि छोगा जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मोटराकाखेड़ा पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर की सरहद में अकिंत खाता संख्या 124 की प्रस्तावित आराजी संख्या 2517/3 रकबा 0.09 है0, भूमि शंकरलाल पिता छोगा कुमावत सा. डांगकाखेड़ा खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2517/2 रकबा 0.09 है0, भूमि भैरूलाल पिता छोगा कुमावत सा0 डांगकाखेड़ा खातेदार तथा प्रस्तावित अराजी संख्या 2517/1 रकबा 0.18 है0, भूमि छोगा पिता रामा जाट मृतक छोगाजी वारीस गोदी पत्नि छोगा जाट सा.देह खातेदार रखे जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 19.03.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

19.3.2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.17 12:04:18 IST
Reason: SelfAttested